

कार्यालय नगर परिषद केवलारी, जिला-सिवनी म0प्र0

पुलिस थाना के पास केवलारी जिला-सिवनी (म0प्र0) Email-cmokewlari@mpurban.gov
NIT : 181 /PWD/2026

DATE : 07.05.2026

//ई-निविदा आमंत्रण सूचना//

एतद् द्वारा सूचित लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत समक्ष श्रेणी के पंजीयककृत ठेकेदार से अधोलिखित विवरण अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिनांक 02 अगस्त 2021 से प्रभावशील प्रचलित आई.एस.एस.आर. समस्त संशोधन सहित के आधार पर कम/अधिक प्रतिशत दर पर ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा क्रमांक	कार्य का नाम एवं विवरण	प्राक्कलन राशि (रु.में)	धरोहर राशि (रु.में)	निविदा फार्म का शुल्क	श्रेणी	समयावधि
1	2	3	4	5	6	7
2026_UAD_505638_1	वार्ड क्र. 10, 11, 12, 13, 14 में पुरानी सीमेन्ट पाईप लाईन बदलकर नवीन एचडीपीई पाईप लाईन कार्य हेतु	10,69,164/-	8,100/-	2,000/-	New PWD Reg.	2 माह

शर्त-(1) निविदा वेबसाईट <https://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगी।

(2) ऑनलाइन निविदा प्रपत्र 07.05.2026 से 09.06.2026 सायं 5:30 बजे तक खरीदे जा सकेंगे।

(3) ऑनलाइन बिड सबमिट करने की अंतिम तिथि 09.06.2026 सायं 5:30 बजे तक है।

(4) अमानत राशि, अन्य निविदा संबंधी समस्त दस्तावेज (हार्ड कापी) केवल ऑनलाइन मान्य की जावेगी। निविदा दिनांक 11.06.2026 से खोली जावेगी।

(5) टेण्डर फार्म-ए में ठेकेदार को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा -

(अ) अमानत राशि (EMD)

(ब) निर्धारित शपथ पत्र (Affidavit) नवीन प्रारूप अनुसार

(स) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।

(द) पेन नम्बर एवं जी.एस.टी. नं.।

(6) टेण्डर फार्म के अनुसार "टेक्नीकल बिड"

(7) सभर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

(8) निविदा के समस्त अधिकार नगर परिषद् केवलारी के पास सुरक्षित होंगे।

(9) ठेकेदार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं शासन के समस्त नियमों एवं निविदा शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(10) निविदा में जी.एस.टी. छोड़कर समस्त करों की कटौती नियमानुसार की जावेगी एवं प्रत्येक देयक के साथ जी.एस.टी. का भुगतान तय समय प्रचलित दर से किया जावेगा।

(11) निविदा दर की सक्षम स्वीकृति पश्चात निविदा शर्तों के अनुरूप प्रतिपूर्ती राशि अनुबंध के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

(12) धरोहर राशि ऑनलाइन के माध्यम से ही मान्य होगी, बिना धरोहर राशि जमा किए निविदा मान्य नहीं की जावेगी।

(13) निविदाकार को दर स्वीकृति उपरांत जिला श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक (विनिमय एवं समाप्ति)

अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रारूप-05 तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ठेकेदार के उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।

(14) अतिरिक्त जानकारी वेबसाईट <https://www.mptenders.gov.in> पर टेण्डर डाक्टूमेंट पर देखी जा सकती है या नगर परिषद् कार्यालय केवलारी में उपस्थित होकर कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है।

(15) निविदा प्रपत्र अनुबंध का एक भाग होगा एवं ऐसी अन्य समस्त नियम एवं शर्तें तथा किसी भी विवाद की स्थिति में जो की उल्लेखित नहीं है के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल द्वारा जारी आदेश/दिशा निर्देश अंतिम एवं मान्य होंगे।

नोट/अन्य शर्तें - (1) निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में केवल ऑनलाइन संशोधन किया जावेगा, समाचार पत्रों में नहीं।

(2) निविदाकार को ई.पी.एफ. का पंजीयन प्रमाण देना अनिवार्य होगा। (3) निविदाकार लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण दर स्वीकृति उपरांत देना अनिवार्य होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।

अध्यक्ष

नगर परिषद्, केवलारी

पृ0 क्रमांक -अ/न0परि0/2026

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगर परिषद् केवलारी की ओर सूचनार्थ।

2. कार्यालय नगर परिषद् केवलारी के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

3. दैनिक समाचार पत्र..... एवं.....में उक्त निविदा सूचना का एक दिवसीय प्रकाशन राज्य स्तरीय पृष्ठ पर कम स्थान में कर, प्रकाशित विज्ञापन की तीन मूलप्रति बिल के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्, केवलारी
नगर परिषद् केवलारी
केवलारी, दिनांक 07.05.2026
जिला-सिवनी (म.प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्, केवलारी
नगर परिषद् केवलारी
जिला-सिवनी (म.प्र.)